

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई) डीपीसी/2013-14/अलेसे-III/2777 दिनांक :- 6/5/2013

सम्बन्धित क.लेखाकार।

विषय :- बैच 1988 मैरिट संख्या 100/88 से बैच वर्ष 1992 तक के क.लेखाकारों के बच्चों की सूचना प्रेषित करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र होने जा रही है। अतः वर्ष 1988 के बैच में मैरिट संख्या 100/88 से बैच वर्ष 1992 तक के सभी क.लेखाकार एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सभी क.लेखाकार अपने बच्चों की सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में तीन दिवस में भिजवाने का श्रम करें। सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्मिक की होगी।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

संलग्न :- संतान सम्बन्धी घोषणा पत्र का प्रारूप।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 7 (1) (डी.ओ.पी.) क-2/95 दिनांक
20.05.2001 के क्रम में कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली घोषणा

मैं..... पद

कार्यालय.....

एतद् द्वारा घोषण करता हूँ कि:-

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की संख्या थी।

क.स.	नाम	जन्म तिथि

2. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

या

दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं
वर्तमान में बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की कुल संख्या..... है।

क.स.	नाम	जन्म तिथि

हस्ताक्षर

स्थान:-

दिनांक :-

नाम

पद.....

मेरिट संख्या/जन्म दिनांक

.....

वर्तमान पदस्थापन

.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये
(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर के)

मोबाइल नम्बर-